

जिन किसानों के आवेदन मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत हैं, वे निजी नलकूप अधिष्ठापन कर अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण कर अपना दावा (Claim) यथाशीघ्र विभागीय पोर्टल (mwrд.bihar.gov.in) पर अपलोड करें।

अधिक जानकारी के लिए विभागीय कॉल सेंटर पर संपर्क करें-0612-2215605, 0612-2215606